



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2021/डी-4418

दिनांक 23-12-2021

इन्टरनेशनल ऑन्कोलोजी सर्विसेज प्रा. लि. जरिये
मुख्यारखास श्री जय कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा,
निवासी-एस बी-2, ओटिस के सामने, जेएलएन मार्ग,
जयपुर।

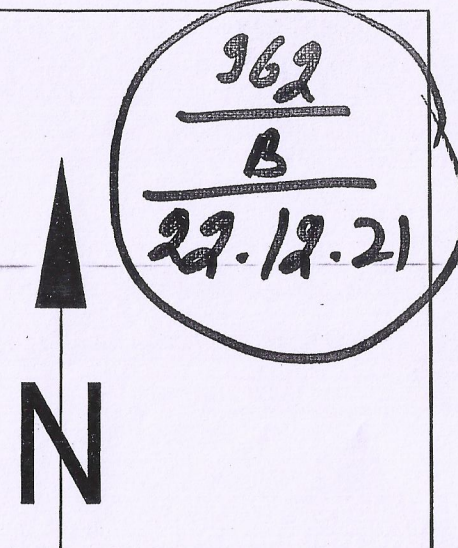
विषय:-ग्राम नारी का बास तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 65/154 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना "गणेश नगर" का मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम नारी का बास तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 65/154 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना "गणेश नगर" का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 282वीं बैठक दिनांक 19.06.2020 को किया जा चुका है। जिन भूखण्डों को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण होने पर तथा रहन मुक्त कराने पर ही किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

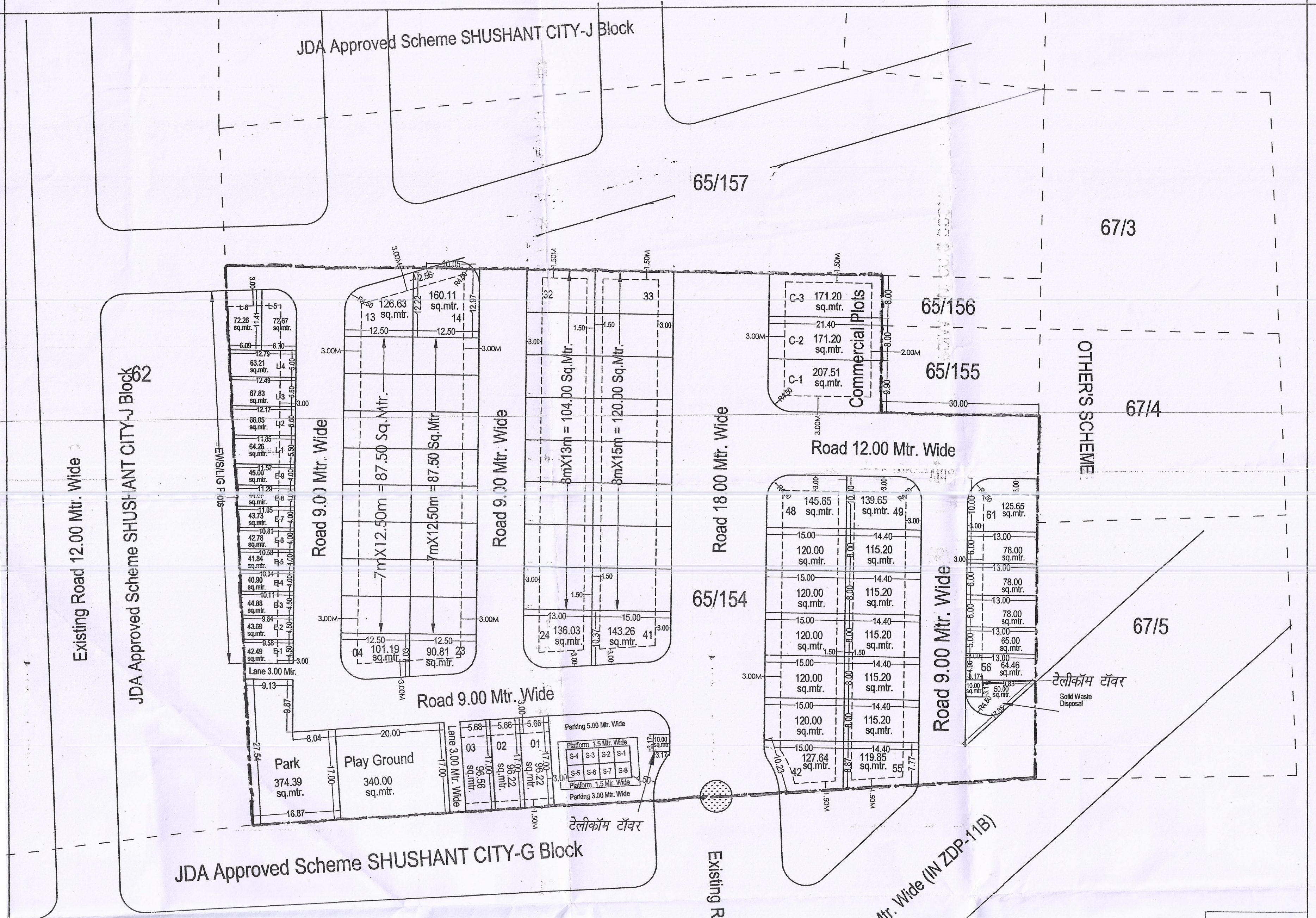
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

Layout Plan of **GANESH NAGAR**

In Khasra no. 65/154 At Village Nari ka Bas, Tehsil Jaipur



Scale 1cm = 5Mtr.



योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

अमीन
जोन-12

नोट

- योजना का अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 282 वीं बैठक दिनांक 19.06.2020 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 23.12.2019 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.स.अधिनियम की धारा 80ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 1 से 3 एवं 5 से 12 तक कुल 11 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 989.00 वर्गमीटर है, जो जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा करवाकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत भू-उपयोग ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत भू-उपयोग यू-1 (आवासीय) है एवं नगर निगम सीमा में बाहर स्थित है।
- 24 मीटर सड़क के घुमाव के सम्बन्ध में विचाराधीन कोर्ट केस का निर्णय विकासकर्ता को मान्य होगा। इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार रखा गया है।

सहायक नगर नियोजक
जोन-12

तहसीलदार
जोन-12

उपायुक्त
जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक
बीपीसी एल पी

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बीपीसी एल पी

Khasra Map
Not to Scale

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (Sq.Mtr.)	प्रतिशत
1	आवासीय	6436.93	45.05%
2	ई डबल्यू एस/एल आई जी	796.87	05.58%
3	फुटकर व्यावसायिक	72.00	00.50%
4	व्यावसायिक	549.91	03.85%
TOTAL SALEABLE AREA		7855.71	54.98%
1	पार्क/ खेल मैदान/	715.19	05.01%
2	कचरा निस्तारण केन्द्र	50.00	00.35%
3	टेलीकॉम टॉवर	20.00	00.14%
4	सड़क	5648.75	39.53%
TOTAL NON SALEABLE AREA		6433.14	45.02%
कुल योजना क्षेत्र (1 to 6)		14288.85	100.00%

ई-डब्ल्यू.एस. भूखण्ड -9
एल.आई.जी. भूखण्ड -6
व्यावसायिक -3
आवासीय भूखण्ड -61
रिटेल शॉप -8